अध्याय 3

बैरिस्टर गांधी

राजकोट से मित्रों की सलाह से गांधीजी बंबई (मुंबई) गए और किराए से एक मकान लेकर वकालत करने लगे। कई दिनों तक बिना मुक़दमे के रहे, क्योंकि वे भारतीय कानून से भली-भाँति परिचित न थे। एक बार किसी ने एक ग़रीब स्त्री मणिबाई का मुकदमा उन्हें दे दिया। उन्होंने खूब मन लगाकर उसका अध्ययन किया, कानूनी किताबें पढ़ीं परन्तु जब अदालत के सामने खड़े हुए तो काँपने लगे। मुँह से शब्द नहीं निकलते थे, जीभ लड़खड़ा रही थी। घबराकर कचहरी से बाहर निकल आए और जो फ़ीस उन्हें मिली थी, उसे लौटाते हुए बोले, 'मणिबाई, अब तुम दूसरा वकील कर लो।'

गांधीजी चार-छह महीने बंबई (मुंबई) में अपना दफ़्तर खोले बैठे रहे। खर्च बहुत होता था और आमदनी बिल्कुल नहीं होती थी। बंबई (मुंबई) नगरी पैसे वालों को बुलाती है, हँसाती है, बिना पैसे वालों को भगाती है, रुलाती है। गांधीजी की गणना दूसरी कोटि के व्यक्तियों में थी। वे मुंबई छोड़कर अपने स्थान राजकोट लौट गए और वहीं अपनी तकदीर आजमाने लगे। वहाँ थोड़ी बहुत वकालत चलने लगी। वे अर्ज़ीदावा लिखने का काम ही अधिक करते थे, क्योंकि इसमें बोलने और बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्ज़ीदावा लिखने का काम भी उन्हें अपने भाई और सम्बन्धियों के प्रयत्नों से ही प्राप्त होता था। रियासत और धनी व्यक्तियों के मुक़दमें अनुभवी बैरिस्टरों को ही मिलते और ग़रीबों के छोटे मामूली मामले गांधीजी को मिलते थे।

राजकोट की एक घटना ने गांधीजी के विचारों में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। घटना इस प्रकार है- गांधीजी के भाई लक्ष्मीदास पोरबंदर दरबार के सेक्रेटरी और परामर्शदाता थे। उन पर गलत परामर्श देने का आरोप लगाया गया था। लक्ष्मीदास ने अपने भाई से एजेंट को समझा देने के लिए कहा। मोहनदास एजेंट को जानते थे और यह भी जानते थे कि वह अशिष्ट और दुराग्रही है और भाई लक्ष्मीदास के सम्बन्ध में अच्छी धारणा नहीं रखता, फिर भी बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना उन्होंने ज़रूरी समझा और वे समय निर्धारित कर अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट से मिले, परन्तु उसके व्यवहार में बड़ी रूखाई थी। कहने लगा कि तुम्हारा भाई षड़यंत्र करने में माहिर है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, यदि तुम्हारे भाई को कुछ कहना है तो वह स्वयं आवेदन-पत्र भेजे। इतना कहकर जब वह अपनी कुर्सी से उठने लगा तो गांधीजी ने उससे पुनः प्रार्थना की कि ज़रा आप मेरी बात सुन लीजिए। गोरा साहब एकदम आग-बबूला हो उठा और दरवाज़े की तरफ़ देखकर गरजा, 'कोई है'।

'हुजूर' कहते और हाथ जोड़ते हुए चपरासी अन्दर आ गया। गांधीजी की तरफ इशारा करते हुए एजेंट ने कहा, 'इन साहब को फ़ौरन बाहर ले जाओ' और भीतर चला गया। गांधीजी अपमान का घूँट पीकर घर लौट आए।

क्रोध में भरकर उन्होंने एजेंट के नाम एक चिट्ठी लिखी कि अपने चपरासी के ज़रिए जो मेरा अपमान किया है, उसके लिए आप क्षमा माँगे अन्यथा मुझे अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। उत्तर में गोरे ने गांधीजी पर असभ्य व्यवहार का आरोप लगाया। गांधीजी शांत नहीं रहे। उन्होंने सर फ़िरोजशाह मेहता से परामर्श किया। मेहता बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अंग्रेज़ों के कृपापात्र थे और अंग्रेज़ी शासन के रवैए को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने गांधीजी को एजेंट से झगड़ा मोल लेने की सलाह नहीं दी। गांधीजी को सर फ़िरोजशाह की सलाह विष-तुल्य लगी, पर वे इस अपमान को जीवन भर नहीं भूले।

पोलिटिकल एजेंट से झगड़ा हो जाने के कारण गांधीजी की वकालत में भी बाधा पड़ने लगी। इसी बीच सन् 1893 में एक दिन गांधीजी के बड़े भाई लक्ष्मीदास को दादा अब्दुला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसमें बैरिस्टर गांधी को फर्म के एक मामले में पैरवी करने के लिए अफ्रीका बुलाया गया था। वादी फर्म ने प्रतिवादी फर्म पर 40 हज़ार पौंड का दावा किया था। दावे के सम्बन्ध में बैरिस्टर गांधी को सलाह देने पर और पैरवी करने के लिए अफ्रीका आमंत्रित किया गया था। वहाँ एक वर्ष के भीतर उन्हें अपना कार्य समाप्त करना था। उनकी फीस 105 पौंड तय कर दी गई थी।

अभ्यास

प्रश्न-1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. बैरिस्टर गांधी को फर्म के एक मामले में पैरवी करने के लिए .....बुलाया गया था।
2. गांधी जी के भाई .....पोरबंदर दरबार के सेक्रेटरी थे।

प्रश्न-2 लघुत्तरीय प्रश्न-

1. गांधीजी ने मणिबाई की फ़ीस क्यों वापस कर दी?
2. पॉलिटिकल एजेंट के व्यवहार के प्रति गांधीजी ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की?
3. अब्दुला एंड कंपनी ने गांधीजी को अफ्रीका क्यों बुलाया?

अब करने की बारी

1. भारत की न्यायपालिका व्यवस्था के विषय में एक लेख लिखिए।
2. अपने आस-पास किसी वकालत के पेशे से जुड़े व्यक्ति से मिलकर अदालत के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए।

❑❑